सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

14 दिसम्बर, 2022

सप्तदश विधान सभा — बुधवार, तिथि 14 दिसंबर, 2022 ई०

सप्तम सत्र — 23 अग्रहायण, 1944 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, अब शपथ/प्रतिज्ञान की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । सभा सचिव ।

सभा सचिव : महामहिम राज्यपाल बिहार से प्राप्त संदेश को मैं पढ़ता हूं ।

''भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, फागू चौहान, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान सभा के अध्यक्ष, श्री अवध विहारी चौधरी को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूँ, जिसके समक्ष बिहार विधान सभा उप निर्वाचन 2022 में बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-93 कुढ़नी से निर्वाचित सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे ।

पटना, — ह०/-फागू चौहान

दिनांक-13.12.2022 — राज्यपाल बिहार ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शपथ/प्रतिज्ञान की प्रति आपके सामने है । जब आप पुकारे जायं तब आपको उसे पढ़ना है । सामने मेज पर एक रजिस्टर है उसमें आपको हस्ताक्षर करना है ।

अब सभा सचिव नाम पुकारेंगे ।

(व्यवधान)

शांति-शांति । माननीय सदस्य, शांति बनाए रखें और सदन के संचालन में आप सकारात्मक सहयोग करें ।

सभा सचिव :

निर्वाचन क्षेत्र सं0 एवं नाम	माननीय सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान
93-कुढ़नी	श्री केदार प्रसाद गुप्ता	शपथ

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, सामने रजिस्टर है उस पर जाकर आप हस्ताक्षर करें ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

पहले कार्यक्रम तो हो जाने दीजिए ।

(व्यवधान)

आप शांति व्यवस्था बनाए रखें । माननीय सदस्यगण, आप शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करें । माननीय सदस्यगण, अपने स्थान पर आप बैठ जायं । माननीय सदस्यगण, अब शपथ/प्रतिज्ञान की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर बैठ गए)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, कुढ़नी विधान सभा का जो शपथ हुआ, इसके पूर्व दो और विधान सभा का चुनाव हुआ है उन माननीय सदस्यों का एक परिचय सदन में आग्रह है कि हो जाए ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, जो कार्यवाही में है, सर्कुलेटेड है आप जानते हैं । आपने जो सूचना दी है, अभी प्रश्नकाल का समय है इसलिए अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल को आप बाधित न करें । आप प्रश्नकाल को बाधित नहीं करें । यह प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का है । अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जाएंगे । माननीय सदस्य, श्री जिवेश कुमार ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आप अपना स्थान ग्रहण करें । जब समय आएगा उसके बाद आपकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा । इसलिए यह जो प्रश्नकाल है उस को बाधित न करें । बैठिए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

सदन नियम और प्रक्रिया से चलती है । आप प्रश्नकाल को चलने दें । माननीय सदस्यगण, जनता ने आपको जनहित के सवालों को उठाने के लिए सदन में भेजा है । सरकार बिल्कुल तैयार है । सरकार तैयार है आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए । इसलिए प्रश्नकाल को आप बाधित न करें । आप अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य, आसन की बात को भी सुनें । आप अपने स्थान पर जायं । अपने स्थान को ग्रहण करें । प्रश्नकाल बाधित न करें ।

(व्यवधान जारी)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : इतना गंदा कर रहे हो, आप बोले थे कि नहीं मुझसे, शराबबंदी के पक्ष में सब था कि नहीं, क्या हो गया आपको, क्या हो गया, आप बोल रहे हो...

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

अध्यक्ष : सभी मार्शल, इनके जो पोस्टर हैं उसको ले लीजिए । मार्शल को आदेश दिया जाता है कि इनके पोस्टर को ले लीजिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : इतना गंदा काम कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो । अच्छा किया कि आपलोगों को छोड़ दिया । क्या लगता है आप शराब के पक्ष में बोल रहे हो, अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपने-अपने स्थान पर आप बैठें ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : क्या हो गया, साक्षरता इतनी कम हो गयी, अब बोल रहे हैं, शराबी हो गये ? इतना गंदा है, अब जो उल्लेख कहीं किया जाएगा, आप जो कर रहे हो यह पूरे बिहार में बोलेगा । पहले क्या बोलते थे, क्या बोलते थे ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने-अपने स्थान को ग्रहण करें ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : बताइए क्या हो गया ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, ऑर्डर में ले आइए । आप आसन पर बुलवाइए न उनको, जब समय आएगा तो समय दिया जाएगा । आप आसन ग्रहण कीजिए ।

टर्न-2/सत्येन्द्र/14-12-2022

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आपलोग अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिये । नेता प्रतिपक्ष, आप सभी लोगों को आसन पर बुलाईए ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय ....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आपलोग आसन पर जाईए । आपलोग अपने आसन को ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान जारी)

नेता विरोधी दल, आप अपने-अपने लोगों को कहिये कि वे अपने स्थान पर जायें और अपनी बातें अपने स्थान पर जाकर कहें । आपलोग अपने स्थान को ग्रहण करें और जो कहना है अपने स्थान पर जाकर बोलें । वेल में आना, यह अलोकतांत्रिक है इसलिए आपलोग अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, ये लोग नहीं पीने का संकल्प कराये थे और आज शराब पीने वालों को मुआवजा देने के लिए कह रहे हैं । यह क्या बात है, अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान जारी)

महोदय, इन्हीं लोगों के आग्रह पर पूरा सदन संकल्प लिया था शराब नहीं पीने का और आज जो शराब पीने पर कोई दिक्कत होती है तो उसको मुआवजा देने की बात कह रहे हैं, आखिर संकल्प क्या लिये थे हमलोग इन्हीं के कहने पर सदन में.

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं इसलिए आपलोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

आप लोग अपने स्थान को ग्रहण करें और अपने स्थान पर जाकर जो कहना है कहिये।

(व्यवधान जारी)

नेता प्रतिपक्ष, आपकी जिम्मेवारी बनती है, सदन को बाधित करना यह जनतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है । आप अपने सदस्यों को कहिये कि वे लोग अपने अपने आसन पर जाकर बैठें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, आपलोग आसन को ग्रहण करके उनकी बात को सुनिये । इस तरह से लोकतंत्र का हत्या करना उचित नहीं होता है । बिहार की कई ज्वलंत समस्याएं है, उसका निराकरण और उसके समाधान के लिए सरकार तैयार है । आपलोग आसन ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान जारी)

आप उनलोगों को बुलाईए तो, पहले उनलोगों को बुलाईए । मैं कहता हूँ आप उनलोगों को बुलवाईए, अपने सदस्यों को बैठाईए । जरा शांति बनाईए । आपके दल के नेता क्या कर रहे हैं, शांति तो बनाईए । प्रश्नकाल जो है उसको बाधित करके आपलोगों ने ....

(व्यवधान जारी)

कहीं माईक बंद नहीं है, कहीं माईक आपका बंद नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, आज बिहार के अन्दर. XXX

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं, यह कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः आपने इजाजत नहीं लिया । आपने इजाजत आसन से नहीं लिया और आप विषय से हटकर अपनी बातों को बिना इजाजत के आप बोल रहे हैं इसलिए सभा की कार्यवाही में उसको दर्ज नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधानजारी)

मैंने कहा कि अपने सदस्यों को पहले आसन पर बुलाईए । आप नेता प्रतिपक्ष हैं कि पहले सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें । वेल में खड़ा होकर, दबाव देकर के आसन को आप प्रेसराईज नहीं कर सकते हैं । आसन नियम प्रक्रिया के तहत कार्य कर रहा है और करेगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, सदन तो व्यवस्थित कर लीजिये पहले । सदन व्यवस्थित होगा, तब न कोई बोलेगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, मैंने कहा नेता प्रतिपक्ष को कि आप अपने सदस्यों को, जो वेल में आकर के अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं वे लोग पहले आसन ग्रहण करें उसके बाद से आपकी बात सुनी जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः ये लोग जगह पर बैठ जायें तो उनकी सुन लीजिये फिर सरकार अपनी बात कहेगी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः नेता प्रतिपक्ष, आप अपने सदस्यों को आसन पर बैठाईए और मैं आपको समय बोलने के लिए दूंगा, उसके बाद सरकार आपका जवाब देगी। पहले बैठाईए । नन्दकिशोर बाबू, आप अपने सदस्यों को अपने आसन पर बैठाईए और आपको भी बोलने का अवसर देंगे। पहले सदन को व्यवस्थित कीजिये, नेता प्रतिपक्ष की यह जिम्मेवारी बनती है ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-3/मधुप/14.12.2022

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप आसन ग्रहण करें और नेता प्रतिपक्ष जो भी कहना चाहते हैं, कहने के लिए आसन इजाजत देगा । तदुपरांत सरकार उसका जवाब देगी, अपनी उनकी जो बात होगी वे कहेंगे । लेकिन आप पहले आसन तो ग्रहण करें । बोलिये न बोलिये, पहले उनको बैठाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर प्रतिपक्ष के आप संरक्षक हैं और प्रतिपक्ष के नेता की बात प्रोसिडींग से हटा देना यह कतई उचित नहीं है । मुख्यमंत्री जी को माफी माँगनी चाहिए जिस तरह से उत्तेजित होकर मेरे सदस्यों के साथ व्यवहार किये । इनको माफी माँगनी चाहिए ।

(इस अवसर पर सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गए)

(व्यवधान जारी)

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : माफी आप माँगें । गंदा काम कर रहे हो, राज्य पूरे तौर पर बर्बाद हो जाएगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : **XXX**

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : इतना गंदा काम आज तक किसी ने नहीं किया है जो कर रहे हो । बहुत गंदा काम है । कैसे जीते हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : **XXX**

अध्यक्ष : पुन: मैं कह रहा हूँ, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बिना इजाजत के यह बात बोल रहे हैं । सदन नेता द्वारा किसी तरह की अपमानजनक बातें नहीं हुई हैं । इसलिए आसन ने कहा है कि बिना इजाजत के नेता प्रतिपक्ष जो बोले हैं, वह प्रोसिडींग का अंश नहीं बनेगा ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : एकदम गलत बात । ये जो बोल रहे हैं इसलिये हमने कहा । माफी ये न माँगेंगे । माफी आप न माँगोगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप लोग सुनिये तो जरा । शांति तो बनाइये । अजीब हाल है ? इस तरह से सदन चलता है ? गलत है ।

आसन के बिना इजाजत के नेता प्रतिपक्ष ने जो कुछ बात कही है, इजाजत देने के बाद ही उनको कहना चाहिए, इसलिये मैंने कहा कि वे जो भी कहे हैं उसको प्रोसिडींग में नहीं लिया जाय । वह बिल्कुल सही मैंने कहा है ।

(व्यवधान जारी)

आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको बोलने का अवसर दूँगा लेकिन पहले इनलोगों को बैठाइये ।

(व्यवधान जारी)

आसन को ऐसा महसूस होता है कि सदन को व्यवस्थित न होने देने में नेता प्रतिपक्ष का अपना जो इनका दायित्व है सदन को व्यवस्थित रखना, नहीं निर्वहन कर रहे हैं इसलिये सभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-4/आजाद/14.12.2022

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री बागी कुमार वर्मा । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

आप सदन को व्यवस्थित होने नहीं देना चाहते हैं, हमको यही लगता है । आप आसन को खड़ा होने पर भी नहीं समझ रहे हैं, आसन पर मैंने खड़ा हुआ एज ए स्पीकर, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं समझ रहे हैं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

प्रश्नोत्तर काल

तारांकित प्रश्न सं0-01 (श्री बागी कुमार वर्मा,क्षेत्र सं0-215,कुर्था)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

(व्यवधान)

3. वस्तुस्थिति यह है कि बरसात के दिनों में प्रश्नगत स्थल पर सतत् निगरानी एवं चौकसी बरती जाती है । नदी द्वारा कटाव करने की स्थिति में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करा कर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है । कुछ वर्षों के नदी के जलश्राव एवं जल स्तर को देखते हुए तकनीकी दृष्टिकोण से उक्त स्थल पर तटबंध निर्माण (सुरक्षा बांध) की आवश्यकता वर्तमान में प्रतीत नहीं होता है ।

(व्यवधान जारी)

श्री बागी कुमार वर्मा : महोदय, विभाग ने माननीय मंत्री जी को गलत उत्तर दिया है । मैं गया था उस गांव में और वहां पर कटाव हो रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उन्होंने कहा कि वहां पर कटाव हो रहा है ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, मैं इसको देखवा लेता हूं तुरंत ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इसको देखवा लेंगे, माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ।

अब माननीय सदस्य श्री पंकज कुमार मिश्र ।

तारांकित प्रश्न सं0-02 (श्री पंकज कुमार मिश्र,क्षेत्र सं0-29,रून्नीसैदपुर)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ एक छोर पर अवस्थित है । बसावट मलमला मुशहरी टोला को पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत बघरी से आंथर भाया थुम्मा पथ से तथा दूसरे छोर पर अवस्थित बसावट धकजरी चौक को पी0एम0जी0एस0वाई0 माणिक चौक से धकजरी पथ से सम्पर्कता प्राप्त है। उक्त पथ में कोई अन्य योग्य बसावट नहीं है तथा यह किसी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है । यह दोहरी सम्पर्कता का मामला है ।

अत: पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी का इसमें बड़ा ही स्पष्ट जवाब है ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : महोदय, इसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है और इसलिए इसपर विचार किया जाय माननीय मंत्री जी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको देखवा लेंगे । माननीय सदस्य श्री विश्व नाथ राम ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0-03 (श्री विश्व नाथ राम,क्षेत्र सं0-202,राजपुर(अ0जा0)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : 1. महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत पथ का चौड़ीकरण हेतु निविदा निष्पादन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है । निविदा निष्पादनोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-04 (डॉ0 रामानुज प्रसाद,क्षेत्र सं0-122,सोनपुर)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य नहीं हैं ।

माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

तारांकित प्रश्न सं0-05 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह,क्षेत्र सं0-67,मनिहारी)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत बाघमारा घाट (जो हटकोला से 5.00 कि0मी0 डाउनस्ट्रीम में है) से गॉधी टोला के पास 2.00 कि0मी0 की लंबाई में गंगा नदी के बायें तट के किनारे बाढ़ अवधि 2022 के बाद आंशिक रूप से क्षतिग्रत हुआ है ।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिनांक 06.12.2022 को कटाव स्थल का निरीक्षण किया गया एवं कटाव रोकने हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य कराने का निदेश दिया गया । जिसके आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, यह सही बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस स्थल का निरीक्षण किये हैं । महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब में कहा गया है कि आंशिक क्षति हुई है, आंशिक क्षति नहीं हुई है जबकि वहां पर काफी क्षति हुई है ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उस स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गये हैं और विभाग के सारे ऑफिसर गये हैं । विभाग के सचिव को और पूरे टीम को भेजा गया है, उसकी भी रिपोर्ट आ गयी है । जो भी काम है, वो सारा काम करवा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय जल संसाधन मंत्री जी ने टीम भेजकर जॉच करवा लिया है, रिपोर्ट प्राप्त हो गया है और विभाग के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है । इसलिए आपको संतुष्ट होना चाहिए और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। अब माननीय सदस्य को स्थान ग्रहण करना चाहिए ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-06 (श्री रणविजय साहू,क्षेत्र सं0-135,मोरवा)</u>

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि एस0एच-49 (महुआ-पातेपुर-ताजपरु पथ), एन0एच0-28 से कोल्ड स्टोरेज चौक पर मिलती है। एन0एच0-28 से महुआ की ओर सिरसिया 1.20 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है।

आई0आर0सी0 मानक के अनुसार टू लेन (7.00 एम) कैरेज वे में डिवाईडर का प्रावधान नहीं किया जाना है ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष से वहां पर पॉच से ज्यादा दुर्घटना घट गयी है और वहां पर काफी जाम की स्थिति बनी रहती है । इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध

करना चाहते हैं कि डिवाईडर का निर्माण करा दें, अगर मानक नहीं पूरा करता है तो उसका चौड़ीकरण कराकर के वहां पर डिवाईडर का निर्माण करवाने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको देखवा लेंगे । माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईमान ।

तारांकित प्रश्न सं0-07(श्री अख्तरूल ईमान,क्षेत्र सं0-56,अमौर)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन दोनों पथों यथा पियाजी से खाड़ी हाट एवं अनगढ़ हाट से धर्मबाड़ी भाया धुसमल जाने वाली सड़क के नाम से प्राक्कलन पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-3 अन्तर्गत दिनांक 29.11.2022 को स्वीकृत कर उक्त दोनों पथों के निर्माण हेतु निविदा प्रकाशन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । तदुपरान्त अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री अख्तरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, पिछले दिनों में कई ऐसी योजनायें आयी थी, जिसके बारे में प्रक्रियाधीन कह दिया गया लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो सका । ये दोनों सड़कें जो पियाजी से खाड़ी हाट जाती है और जो अनगढ़ से धर्मबाड़ी जाती है, दोनों सड़क महत्वपूर्ण है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि इसमें विशेष रूचि लेकर के जरूर करवा दें, मैं यही आश्वासन चाहूंगा सर ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य निविदा प्रक्रियाधीन है और आपके द्वारा जो कहा गया, माननीय मंत्री ने आपकी बात को ग्रहण किया है । माननीय सदस्य श्रीमती मीना कुमारी ।

टर्न-5/शंभु/14.12.22

तारांकित प्रश्न सं0-8(श्रीमती मीना कुमारी)क्षेत्र सं0-34,बाबूबरही

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : 1- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर चौड़ीकरण पर निर्णय लिया जायेगा ।

श्रीमती मीना कुमारी : महोदय, वहां पर मरनैया, महुलिया और मोतनाजे में सशस्त्र सीमा बल का कैंप भी है । इसलिए प्राथमिकता के आधार पर उसमें पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि इसे जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाय और जल्दी से बनाने का प्रयास किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी सूचना ग्रहण कर लीजिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-9(श्री संजय प्रसाद गुप्ता)क्षेत्र सं0-30, बेलसंड

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि शिवहर जिलान्तर्गत बलुआ से देकुली धाम तक एवं सीतामढ़ी जिलान्तर्गत धनकौल से खरका तक तटबंध के शीर्ष पर ब्रिक सोलिंग का कार्य किया हुआ है जिसका उपयोग निरीक्षण वाहन के आवागमन एवं बाढ़ अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक सामानों की ढुलाई हेतु किया जाता है । तटबंध मोटरेबुल है और वर्तमान में उक्त बांध का कालीकरण कराने का कोई प्रस्ताव विचार में नहीं है ।

श्री संजय प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरे ही जिला में दोनों साइड कालीकरण हो चुका है, मोटरेबुल हो चुका है तो बेलसंड और शिवहर जिला में क्यों नहीं हो सकता है ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : हमलोग सड़कों का कालीकरण नहीं कराते हैं महोदय, हमलोग अपने फ्लड फाइटिंग के काम के लिए जो प्रोजेक्ट होता है उसके लिए करते हैं । अभी यह मोटरेबुल है, आगे हमलोग देखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी का कहना है कि आगे हम इसको देखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-10(श्री जितेन्द्र कुमार, क्षेत्र सं0- 171, अस्थावॉं)

श्री चन्द्र शेखर,मंत्री : महोदय, 1- अस्वीकारात्मक है ।

2- अस्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि राज्य योजना के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-430, दिनांक-25.02.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में नालंदा जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सरमेरा की स्थापना की गयी है । तात्कालिक व्यवस्था के तहत उक्त संस्थान को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजगीर के साथ टैग कर प्रशिक्षण कार्य संचालित किया जा रहा है । प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सरमेरा के पत्रांक-142, दिनांक 07.12.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थान, सरमेरा के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन दिनांक 21.06.2021 को हुआ है तथा संस्थान के नव निर्मित भवन का हस्तांतरण औपबंधिक रूप से माह दिसम्बर, 2021 में प्राप्त करने के उपरांत संस्थान को नये भवन में स्थानान्तरित करते हुए माह दिसम्बर 2022 से प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : नेता विरोधी दल, आपसे आग्रह है कि आप अपने सभी सदस्यों को आसन पर बैठाइये उसके बाद आपको जो कहना होगा कहियेगा ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, ये सरमेरा प्रखंड के आइ0टी0आइ0 का मामला है । उत्तर बड़ा भ्रामक है महोदय । माह दिसम्बर अभी चल रहा है और हम उसी क्षेत्र से रोज आते हैं, डेली आते हैं, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है तो गलत उत्तर देनेवाले अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहते हैं माननीय मंत्री जी ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सरमेरा के पत्रांक-142, दिनांक 07.12.2022 के द्वारा यह उत्तर दिया गया है, अगर ऐसा है तो कार्रवाई होगी माननीय सदस्य से यह मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इसको देखवा लूंगा गंभीरतापूर्वक ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री ने कहा कि अगर भ्रामक रिपोर्ट आये होंगे तो मैं इसको देखवा लूंगा । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, यह बच्चों का मामला है और कब से पढ़ाई करवाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : उस मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है वे स्वयं देखवा लेंगे, अगर गलत उत्तर होगा तो नियमानुसार सक्षम कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार अपने स्तर से देखवा लेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-11 (श्री ललित नारायण मंडल,क्षेत्र सं0-157 सुलतानगंज)</u>

श्री जयन्त राज,मंत्री : 1-स्वीकारात्मक है ।

2- प्रश्नाधीन योजना का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जायेगा । सर्वेक्षण के उपरांत विहित प्रक्रिया के तहत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त निर्माण कराया जा सकेगा ।

श्री ललित नारायण मंडल : सर, कब तक कराया जा सकेगा ।

श्री जयन्त राज, मंत्री : बहुत जल्द करवा देंगे ।

अध्यक्ष : बहुत शीघ्र करायेंगे, शीघ्रातिशीघ्र करा देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-12(श्री छोटे लाल राय, क्षेत्र सं0-121 परसा)</u>

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-13(श्री विजय कुमार, क्षेत्र सं0-169 शेखपुरा)

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : 1-अस्वीकारात्मक है ।

2-वस्तुतः मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन, नालंदा, बिहारशरीफ के पत्रांक-2285, दिनांक-17.11.2012 नहीं अपितु पत्रांक-2285, दिनांक-17.11.2022 है। अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल नालंदा बिहारशरीफ एवं कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल उदेरा स्थान द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया है । निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि स्थल के अपस्ट्रीम में मंडई वीयर का निर्माण कराया जा रहा है तथा डाउन स्ट्रीम में राढिल छिलका पूर्व से निर्मित है । राढिल छिलका से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

3- उक्त स्थल पर वीयर का निर्माण तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय विजय कुमार जी, माननीय मंत्री ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है । मैं समझता हूँ कि आप संतुष्ट हो गये होंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-14(श्री दिलीप राय,क्षेत्र सं0-26 सुरसंड)

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ पी0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत हरारी दुलारपुर से पठनपुर पथ के नाम से निर्मित है । जिसकी लंबाई 0.437 कि0मी0 है। पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । पथ की मरम्मति हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है तद्नुसार निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-15(श्री भूदेव चौधरी,क्षेत्र सं0-160 धोरैया)

श्री आलोक मेहता,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की मरम्मति हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के अन्तर्गत भागलपुर दुमका पथ आरोगन से झिमटिया ब्रिज आर0सी0डी0 लीवाकति पथ-निधि के उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क से लगभग चार पंचायत के लोगों का आवागमन है काफी दिक्कत हो रही है । हम आग्रह करना चाहेंगे कि कब तक अग्रेतर कार्रवाई की शुरूआत होगी हम जानना चाहते हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : माननीय सदस्य द्वारा बतायी गयी बात को गंभीरता से नोट किया जाता है, अविलंब उसको देखवा लेंगे ।

टर्न-6/पुलकित/14.12.2022

तारांकित प्रश्न सं0- 16 (श्री मुकेश कुमार रौशन, क्षेत्र सं0- 126, महुआ)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है ।

2 (i) जहां तक जिला एवं अनुमंडलीय शासन व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित होने की बात है, इसका उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ii) जहां तक प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था की बात है, राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (बी0पी0आर0ओ0) को प्रखंड पंचायत समिति का कार्यापालक पदाधिकारी घोषित किया गया है, इससे विकासात्मक कार्य के अवरूद्ध होने का कोई मामला विभाग के संज्ञान में नहीं है ।

3 एवं 4 - उपर्युक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, क्या ऐसा करने से प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी गयी शक्ति में कटौती नहीं की गयी है एवं उनका प्रशासनिक नियंत्रण अब पंचायतों की योजना पर नहीं रह गया है ?

महोदय, पूरे बिहार में बी0पी0आर0ओ0 और बी0डी0ओ0 के बीच में जो तनाव उत्पन्न है उससे विकास के कार्य रूके हुए हैं । जो बी0डी0ओ0 को पहले पावर थी, वह पावर पुन: बी0डी0ओ0 को दी जाए । अब अपने जनप्रतिनिधि अपने बी0डी0ओ0 के पास न जाकर के अलग-अलग विभागों के पदाधिकारियों के पास जाकर के अपनी समस्या को रखते हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में कहा कि कोई इस तरह की बात सरकार के संज्ञान में नहीं है । अगर कोई ऐसा मामला है तो माननीय सदस्य हमें लिखित रूप से या मिलकर बतायेंगे तो उस पर जांच करायेंगे और जांच करके कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप लिखकर के बता दीजियेगा ।

(व्यवधान जारी)

अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाए । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण आज दिनांक– 14 दिसम्बर, 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :

श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री जिवेश कुमार, श्री आलोक रंजन, श्री राम सूरत कुमार, श्री जनक सिंह ।

आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री मिथिलेश कुमार अपने शून्यकाल की सूचना को पढ़ें ।

शून्यकाल

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मिथिलेश कुमार ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्या श्रीमती गायत्री देवी ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत घोसी प्रखंड एवं घोसी नगर पंचायत क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है ।

अत: सरकार से घोसी में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री प्रणव कुमार ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, डुमराँव अंचल के मौजा भोजपुर कदीम, भोजपुर जदीद व नेनुआँ सहित पूरे बक्सर जिले के तमाम बासगीत पर्चाधारियों एवं पचासों वर्षों से

बसे भूमिहीनों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन द्वारा बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ने के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय नेता विरोधी दल बोलेंगे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को तो हम लोग व्यवस्थित चलाने के पक्ष में रहते हैं लेकिन प्रतिपक्ष की आवाज को, माईक नहीं दिया जाता है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तेजित किया जाता है । हम शराबबंदी के विरोध में कभी नहीं रहे हैं । जहरीली शराब के नाम पर हो रही मौत पर हम चर्चा चलाना चाहते हैं । शराबबंदी के नाम पर अपराधियों का मनोबल और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ रहा है । हम इस पर चर्चा कराना चाहते हैं । आज लॉ एण्ड ऑर्डर बिगड़ रहा है । हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का पूरे बिहार के अंदर दहशत का वातावरण बन रहा है । नियुक्ति के नाम पर लाठी चार्ज हो रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, जो शराबबंदी है वह आपका ही संकल्प था इसलिए तख्ती जो लेकर आए यह गलत था ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, जहरीली शराब के पक्ष में नहीं है । पासी जाति के लोगों को जेल भेजा जा रहा है ।

अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें । श्री अरूण सिंह ।

श्री अरूण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय अरूण सिंह जी, आपका शून्यकाल नियमानुसार नहीं था इसलिए उसको अस्वीकृत कर दिया गया है । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अमरजीत कुशवाहा ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनवितरण प्रणाली में गरीबों को मिलने वाले राशन में पांच किलो चावल तथा पांच किलो गेहूं के बजाय नौ किलो चावल और एक किलो मात्र गेहूं प्रति यूनिट को बदलकर पूर्व की भांति ही राशन देने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकारी कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए राजपत्रित अवकाश का भी पारिश्रमिक देने की मांग करता हूँ ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में मंहगाई के दौर में भी विगत सात वर्षों से राज्य के विकास मित्रों के मानदेय में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो सकी है । सदन के माध्यम से राज्य में कार्यरत विकास मित्रों के वेतन बढ़ोत्तरी की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री ललन कुमार ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री रामविलास कामत ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिलान्तर्गत किशनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत किशनपुर दक्षिण के फुलकाहा गांव से कोसी तटबंध जाने वाली सड़क में तटबंध के बगल में पुल निर्माण कराने की मांग मैं सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र प्रसाद ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री इजहारूल हुसैन, आप अपना शून्यकाल पढ़ें ।

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल छत्तरगाछ के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य संरचनाओं का मॉडल प्राक्कलन 6,99,30000/- रुपये मात्र, फर्निचर सहित निर्धारित किया गया है, परन्तु अबतक निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है ।

अतएव पुनः निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की राशि आवंटित कराने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुन्दन कुमार ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र प्रसाद ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मैंने आपको समय दिया । मैंने आपको माईक दिया, आप अपनी बात कहिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, लोकतंत्र में सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता का माईक बंद नहीं होता है । माईक बंद क्यों किया जाता है ? ऐसे सदन चलेगा, लोकतंत्र की यह व्यवस्था है ? अध्यक्ष महोदय, आसन सभी का है, आसन का ये भाव...

टर्न-7/अभिनीत/14.12.2022

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आसन सबके लिए है लेकिन जिसको पुकारा जाता है उसके सामने माईक होता है, नहीं पुकारा जाता है तो माईक स्वत: बंद समझा जाता है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष का माईक बंद नहीं होता है, यह कहीं नियम में नहीं है । इस तरह से सदन चलाइयेगा ? इस तरह से सदन पर, ज्वलंत लाशों पर राजनीति होगी ? लोग मर रहे हैं, हत्या, लूट, बलात्कार हो रहे हैं और आप सदन चला रहे हैं...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र मेहता ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश यादव ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, स्वस्थ परंपरा रही है बहस कराने की, प्रतिपक्ष की आवाज सुनने की...

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, आपने माईक पर जो सुझाव आपको देना था वह दे दिया, कृपया अभी शून्यकाल चल रहा है, इसलिए अब आपको माईक न देकर मैं जिनका नाम पुकारूंगा उनको माईक दिया जाय ।

माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश यादव ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, राज्य के किशनगंज स्थित ए0एम0यू0 सेंटर, किशनगंज के निर्माण के कार्य में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने हेतु बिहार सरकार पहल करे तथा राशि आवंटित के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करे ।

श्री गोपाल रविदास : माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिलांतर्गत फुलवारी शरीफ प्रखंड में महिला महाविद्यालय स्थापित करने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल ।

(व्यवधान जारी)

आसन कहीं पार्टी नहीं होता है, आपलोगों का संसदीय व्यवस्था से लगता है विश्वास उठ गया है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, बिहार के विद्यालय शिक्षक के बिना कैसे चल रहे हैं ? शिक्षा के बिना सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दलित गरीबों, पिछड़ों, मजदूर किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के भविष्य की हत्या हो रही है । सातवें चरण के तहत शिक्षक नियुक्ति की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड निवासी स्वर्ण व्यवसायी सत्य प्रियदर्शी के हीरा ज्वेलर्स को दिनांक- 06.12.2022 को अपराधियों ने दिन-दहाड़े लूट लिया जिसका मुफस्सिल थाना कांड संख्या - 576/22 है ।

अत: अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर लूटे गये स्वर्ण बरामदगी की मांग करता हूं ।

श्री संदीप सौरभ : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में होने वाले जातीय जनगणना को शिक्षकों के बजाय मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयं सेवकों से करवाया जाय । शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम न लिया जाय । 2012-13 में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर सरकार के कई महत्वपूर्ण काम कर चुके सांख्यिकी स्वयं सेवकों के तत्काल समायोजन की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्या श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, सात निश्चय योजना पार्ट-02 के अंतर्गत बिहार राज्य में वार्ड सदस्यों का मद में आवंटित राशि के अभाव में संबंधित विभिन्न कार्यक्रम बाधित हैं जिसके कारण जनहित में विकासात्मक कार्रवाई की प्रगति नहीं है ।

अत: राशि विमुक्त कर योजना शत-प्रतिशत क्रियान्वित करने की मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री सूर्यकान्त पासवान ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, बेगूसराय जिलांतर्गत बखरी प्रखंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 50 हजार से अधिक है परंतु दलितों के बच्चों की शिक्षा के लिए अम्बेदकर छात्रावास नहीं है ।

अत: सरकार से बखरी प्रखंड में अम्बेदकर छात्रावास निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, भोजपुर जिलांतर्गत पीरो प्रखंड में आरा-सासाराम मुख्य सड़क से कातर गांव जाने वाली सड़क अति जर्जर है । प्रशासनिक स्वीकृति मिलने और संवेदक नियुक्ति के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है ।

जनहित में तत्काल सड़क निर्माण शुरू कर पूर्ण करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री पवन कुमार यादव ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

अब शून्यकाल समाप्त हुआ । अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिए जायेंगे । माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद अपनी सूचना पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री सुदामा प्रसाद, महबूब आलम एवं अन्य पाँच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, ''धान का कटोरा भोजपुर-रोहतास सहित 19 जिलों में पैक्सों से सिर्फ उसना चावल कुटवाने के सहकारिता विभाग के फरमान से किसान, पैक्स और मिलर त्राहिमाम कर रहे हैं । सूबे में 4500 अरवा और 160 उसना चावल मिल हैं, जिनके बूते उसना चावल देना असंभव है । पैक्सों का किसानों से धान अधिप्राप्ति बंद है । सरकार के 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक मात्र 3,90,452.77 मीट्रिक टन ही खरीद हो पाई है ।

धान खरीद नहीं होने से रबी की बुआई और पारिवारिक खर्चों के लिए मजबूर किसान 12-13 सौ रुपये क्वींटल धान बिचौलियों के हाथों बेच रहे हैं । महंगे कृषि लागत के कारण एक क्वींटल धान पैदा करने में किसानों का तीन हजार रुपये से ज्यादा खर्च होता है, जबकि समर्थन मूल्य 2040 रुपये में भी धान नहीं बिक रहा है ।

अत: लोकहित में 19 जिलों के पैक्सों से सिर्फ उसना चावल की अधिप्राप्ति का फैसला वापस लेने, व्यापार मंडल एस0एफ0सी0-एफ0सी0आई0 के द्वारा नमी व

कागज की अनिवार्यता के बिना किसानों का संपूर्ण धान 3500 रुपये प्रति क्वींटल खरीदने तथा धान अधिप्राप्ति का समय 31 मार्च तक बढ़ाने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री सहकारिता विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, इसका जवाब कल दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : सुदामा बाबू, आपके ध्यानाकर्षण का जवाब सरकार कल देगी ।

श्री सुदामा प्रसाद : ठीक है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल अपनी सूचना पढ़ें ।

सर्वश्री ललित नारायण मंडल, निरंजन कुमार मेहता एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त

ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, ''बाढ़, सुखाड़ या अन्य आपदा के समय सरकार द्वारा पीड़ितों (किसानों एवं मजदूरों) को राहत-राशि देते समय इकाई पंचायत को माना जाता है, जबकि इकाई गाँव को माना जाना चाहिए । साथ ही, प्रभावित गाँव में जिस किसी भी किसान का जमीन हो उसे भी उचित राहत मिलनी चाहिए चाहे किसान दूसरे किसी भी गाँव का निवासी हो ।

अतएव जनहित में उपरोक्त संशोधन के साथ आपदा राहत राशि पीड़ितों को दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

श्री शाहनवाज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपदा प्रबंधन का विषय राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, चाहे बाढ़ हो या सुखाड़ या कोई अन्य आपदा, पीड़ित परिवारों को ससमय राहत पहुंचाने के लिए सरकार पूर्णतः कटिबद्ध है । आपदाओं के आने पर प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गाँवों, टोलों एवं बसावटों में रहने वाले सभी

प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा निर्धारित सहाय मानदंड के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है । (क्रमशः)

टर्न-8/हेमन्त/14.12.2022

श्री शाहनवाज, मंत्री (क्रमशः) : स्पष्टतः आपदा से पीड़ित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने में पंचायत को यूनिट नहीं माना जाता है । अपितु प्रभावित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सभी प्रभावित परिवारों को सहायता पहुंचायी जाती है । उदाहरणस्वरूप इस वर्ष राज्य में अल्पवर्षा की स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य के 11 जिलों में कुल 96 प्रखंडों में 937 पंचायतों के 7841 राजस्व ग्रामों एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांवों, टोलों तथा बसावटों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया तथा उक्त क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को विशेष सहायता के रूप में 3500 रुपये देने का निर्णय लिया गया । इसके तहत सूखाग्रस्त घोषित क्षेत्रों में रहने वाले अब तक 16.50 लाख से अधिक परिवारों को 3500 रुपये प्रति परिवार की दर से 580 करोड़ रुपये से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है । इसी प्रकार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर भी प्रभावित सभी क्षेत्रों में रहने वाले सभी प्रभावित परिवारों को अनुग्राहिक राहत की राशि दी जाती है । उदाहरणस्वरूप वर्ष 2021 में आयी बाढ़ से प्रभावित 16 लाख से अधिक प्रभावित परिवारों को 6 हजार की दर से 980 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है । वर्ष 2020 में बाढ़ प्रभावित 22.90 लाख से अधिक प्रभावित परिवारों को 6 हजार की दर से 1370 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है । इसी प्रकार किसी भी आपदा के समय प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध करायी गयी है । चाहे वह किसी भी प्रभावित गांव, टोलों अथवा बसावटों में रहने वाले हों ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, हम सुल्तानगंज विधान सभा से आते हैं । वहां पर साफ घोषित किया गया है कि फलाना-फलाना पंचायत सूखाग्रस्त है । जैसे उस पंचायत में पांच गांव हैं, तो दो गांवों में बहुत अच्छी तरह से धान हुआ है और उसको भी सहायता मिल गयी, चूंकि पूरी पंचायत को इकाई मानकर उसको घोषित किया गया है और दूसरी

पंचायत में जहां पर कि एक या दो गांवों में धान हुआ है और बाकी गांव में नहीं हुआ है, ऐसा होता है कि एक गांव में धान हुआ है और बाकी गांव में धान नहीं हुआ, तो उस गांव को काट दिया गया, उसको सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया । इससे यह हुआ कि सही में जिस किसान को सहायता मिलनी चाहिए उस किसान को सहायता नहीं मिलकर और पंचायत को प्रभावित घोषित करने पर जो किसान सुखाड़ से प्रभावित नहीं भी था उसको फायदा हो गया और दूसरी पंचायत के किसान को, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला । हम सुल्तानगंज विधान सभा की बात कर रहे हैं आप जांच कराकर देख सकते हैं और दूसरी बात है जैसे मान लिया कि ए पंचायत को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और बी पंचायत के लोगों का खेत वहां पर है, तो उसका भी तो खेत प्रभावित हो गया, सूखा हो गया, तो बी पंचायत के किसान को भी, जिसकी जमीन ए पंचायत में है उसको भी राहत मिलनी चाहिए । आप उससे प्रमाण ले सकते हैं, रसीद ले सकते हैं या कोई भी चीज ले सकते हैं, लेकर उसको मिलना चाहिए । लेकिन ऐसा नहीं हुआ है सर । आपके माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, आप जांच करवा लीजिए । हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है, वहां पंचायत को सूखा क्षेत्र घोषित किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार स्वयं गंभीर है और जनहित के कार्यों में सरकार तत्परता से कार्य कर रही है । इसलिए जो पूरक प्रश्न माननीय सदस्य के द्वारा उठाया गया है, माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री जी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए ।

श्री शाहनवाज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुल्तानगंज में कुल सात पंचायत नयागांव, घांघी बेलारी, करहरिया, कुमेठा, असियाचक, भिरखुर्द, कठारा में दिया गया है । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य जिस पंचायत की बात कर रहे हैं उनकी जांच कराकर, जो उनकी चिंता है मैं उसको दूर करूंगा ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे बिहार की बात है । पूरे बिहार में इस तरह हो रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रहलाद यादव जी, ध्यानाकर्षण देने वाले जो सदस्य हैं अभी वह खड़े हैं ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, इसी सूचना पर हमने बोला है ।

अध्यक्ष : आपने नहीं न कहा कि मैं इस सूचना पर खड़ा हूं । इसीलिए उन्होंने जो प्रश्न किया है, ध्यानाकर्षण इसलिए स्वीकृत हुआ है कि पूरे बिहार की चर्चा के साथ-साथ अपने क्षेत्र को भी शामिल इन्होंने किया है । इसलिए यह मामला पूरे बिहार का बनता है और आप बिहार सरकार में हैं । इसलिए अपने स्तर से इसको दिखवा लीजिएगा, जो नियमानुसार कोड ऑफ कंडक्ट कहता है, रिलीफ कोड ऑफ कंडक्ट, उसके मुताबिक आप पूरे बिहार में और खासकर प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में जो समुचित व्यवस्था हो सके उसको कीजिएगा ताकि उनकी चिंता दूर हो सके ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना ।</u>

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री दामोदर रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली के नियम 211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित 323वां, 324वां, 327वां, 328वां, 329वां, 330वां, 331वां, 332वां, सहकारिता विभाग से संबंधित 304वां, जल संसाधन विभाग से संबंधित 319वां, ऊर्जा विभाग से संबंधित 325वां, 334वां, श्रम संसाधन विभाग से संबंधित 336वां एवं विभिन्न विभागों से संबंधित 335वां प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-9/धिरेन्द्र/14.12.2022

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, प्रथम आवर में भी हमलोग विषय को रखे थे कि आज लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गयी । ये जहरीली शराब के नाम पर जो कहीं-न-कहीं सरकार संरक्षित नरसंहार का स्वरूप बन रहा है, प्रशासन की अराजकता और लापरवाही का यह परिणाम दिखाई पड़ रही है । इस विषय को लेकर, शराबबंदी के नाम पर किस तरह से अवैध कमाई का वातावरण बनाकर अपराधियों का एक नया ग्रुप खड़ा हो रहा है और इसके नाम पर कहीं-न-कहीं हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का माहौल, बिहार के अंदर अभी-अभी न्यूज मिली है कि दानापुर में दो लोगों को गोली मार दी गयी, ऐसी घटना रोज घटित हो रही है । इस विषय को हमलोग रखे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से उत्तेजित हो कर और अमर्यादित भाषा का उपयोग करना और जिस तरह से धमकी देना, अध्यक्ष महोदय, पहले मुख्यमंत्री जी उस पर क्षमा मांगें । मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष...

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष....

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय......

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ये पूरे सदन का अपमान है और आपके रहते सदन का अपमान, विधायिका का अपमान कतई उचित नहीं है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य । नेता प्रतिपक्ष अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जिस मामले को कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मौतें हो रही हैं, यह अत्यंत दु:ख का विषय है और अगर शराब

पीने से मौत हो रही है तो यह शराबबंदी कानून का औचित्य बताता है और हमें याद है अध्यक्ष महोदय कि उस वक्त हम आपकी जगह पर थे, आप यहां पर थे और नेता प्रतिपक्ष वहीं पर थे । इन्हीं लोगों के अप्रत्याशित समर्थन और एकजुटता से शराबबंदी कानून....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठकर बोलें । आप अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी....

(व्यवधान)

देखिये, यही जो है इंटरफेरेंस है । आसन की अनुमति के बिना, यह इंटरफेरेंस है । जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं तो उनकी बात को आप सुनिये, सुनने की जरूरत है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष का एक व्यक्ति नहीं बोल रहा था । अब पता नहीं इनके सदस्यों को इन पर विश्वास और भरोसा है या नहीं है ? यह हमें समझ में नहीं आता है । महोदय, मैं यह कह रहा था कि शराबबंदी कानून, यह सदन साक्षी है कि जिस एकजुटता से सबों ने, आप लोगों ने भी, संयोग से उस समय भी आप उधर ही थे, जिस एकजुटता से पारित किया था और आप ही लोगों के सुझाव पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर हम सब ने इस सदन में उठकर संकल्प लिया था और संकल्प लिया था कि हमलोग न खुद पियेंगे और दूसरों को भी नहीं पीने के लिए हमलोग प्रेरित करेंगे । अध्यक्ष महोदय, अगर आज शराब पीने से मौतें हो रही हैं तो यह हम सब का, उसमें आप भी शामिल हैं, शराबबंदी कानून का औचित्य बताता है, अभी हमने...

(व्यवधान)

आप पूरा सुन तो लीजिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : आप बोल लीजिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आप बोल रहे थे तो हम कहाँ बीच में बोल रहे थे ।

अध्यक्ष : मैं आप लोगों से, माननीय सदस्यों से कहना चाहूँगा कि कोई भी माननीय मंत्री या माननीय सदस्य इजाजत लेकर कुछ कह रहे हैं तो आप सुनिये, यह सदन की एक स्वस्थ परंपरा होगी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी मैं उस सदन में भी था, भोजनावकाश के पहले, वहां भी यह बात आई थी और संयोग से आप ही के दल के लोग कह रहे थे कि आज शराब पीने से मौतें हो रही हैं, ये मौतें कब तक होंगी ? हमने कहा कि कब तक होंगी का जवाब आपके पहले लाईन में मौजूद है जो शराब पीने से मौत हो जाती है तो मौत कैसे नहीं होगी, उसका उत्तर तो पहले लाईन में है और सरकार की यही मंशा है कि लोग शराब नहीं पीये और महोदय, हम सब इसके लिए नैतिक रूप से बंधे हुए हैं कि हम लोगों को शराब नहीं पीने के लिए, शराब छोड़ देने के लिए प्रेरित करें । जहां तक गलत ढंग से शराब मिलने की बात है महोदय, सरकार में आप देख रहे होंगे समाचार-पत्रों के माध्यम से भी, लगातार सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है । सैंकड़ों लोग अब तो बिहार की बात छोड़िये, मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाय । मेन जो शराब के आपूर्त्तिकर्त्ता हैं, अब उन तक जाकर पकड़ने की बात हो रही है और महोदय, सदन साक्षी है कि हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से सब जगह के शराब व्यापारी जो गलत ढंग से बिहार में शराब की आपूर्त्ति करते थे, वे पकड़ाये हैं और महोदय, हम तो यह कहेंगे कि सरकार ने तो घोषणा कर रखी है कि जिनको पता चले कि कहीं पर शराब मिल रही है, वे सूचना देंगे तो सरकार कार्रवाई करेगी । सरकार को यह सूचना नहीं देकर कि शराब कहाँ मिल रही है, हमेशा कहना कि हर जगह मिल रही है....

(व्यवधान)

देख लीजिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आपने बोला कि मौका देंगे । अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सही कहा कि उस समय भी हम विपक्ष में थे और मेरे ही प्रस्ताव पर सभी लोग यहाँ संकल्प लिये थे लेकिन हम उस समय भी सरकार को सजग और सावधान किये थे कि आप जो नीति बना रहे हैं, जब नीयत साफ होगी, तंत्र आपके साथ रहेंगे तब सफल

होगा । आज आपकी नीयत साफ नहीं है । अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज में शराब की फैक्ट्री के मालिक को आप उम्मीदवार बनाते हैं, कुढ़नी में शराब पीने वाले को आप उम्मीदवार बनाते हैं । सत्ता संरक्षित शराबियों की जमात शराब बेचवा रही है और आपका थाना जहरीली शराब को संरक्षित कर लाशों की ढेर पर भ्रष्टाचारियों की इमारत बुलंद कर रही है ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष....

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, ये वातावरण कतई उचित नहीं है। जब आपका तंत्र फेल है, संभल नहीं रहा है, कई नरसंहार जहरीली शराब के कारण.....

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष....

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सुना जाय ।

अध्यक्ष : कितना देर तक सुनाइयेगा...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, जितना देर तक उनको, संसदीय कार्य मंत्री को इतना समय दिये...

अध्यक्ष : सबसे ज्यादा आप सुना रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री को जितना समय दिये..

अध्यक्ष : हमने सुन लिया है, ना हम पीयेंगे और जो पीयेंगे उनको रोकने के लिये...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, तो उम्मीदवार कैसे बनाये गोपालगंज में? मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए और सरकार में बैठे लोग शराबबंदी के नाम पर...

अध्यक्ष : माफी की क्या वजह है, क्यों माफी मांगना चाहिए ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, सदन के अंदर धमकी भरी भाषा नहीं चलेगी ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कोई असंसदीय बात, शब्द, आचरण नहीं किया है । इसलिए माफी मांगने का कहाँ प्रश्न है ।

अध्यक्ष : ठीक है, ठीक है । अब आज के निर्धारित कार्य होंगे । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अब आपकी बात को सुन लिये । अब समय जाया नहीं किया जाय ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-205 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1989-90 के अधिकाई व्यय विवरण को उपस्थापित करता हूँ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : आपने कहा और आपको समय दिया गया, आपको सुना गया ।

(व्यवधान जारी)

नहीं, माफी का विषय नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य लिये जायेंगे । सवाल है कि जनता ने जिताकर आपको भेज दिया है, सदन में आये हैं, क्या जनता के हित के कार्यों को नहीं करने देने का ही आपलोगों ने निर्णय किया है ? यह गलत बात है ।

टर्न-10/सुरज/14.12.2022

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, निगरानी विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

(व्यवधान जारी)

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-1 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।"

महोदय, सरकार इस विधेयक को लेकर सदन की स्वीकृति के लिये यहां आयी है । आप जानते हैं और सदन के सभी माननीय सदस्य भी जानते हैं कि हमलोगों की, सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और इसलिये 2009 में भ्रष्टाचारियों के द्वारा जो भी भ्रष्ट तरीके से अर्जित संपत्ति होती है, उसको कॉन्फिसकेट करने के लिये राज्यसात करने के लिये विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गयी थी और विशेष न्यायालयों का जो गठन हुआ था या जो केन्द्रीय कानून है उसी के क्रॉसपोंडिंग होता है वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है । भारत सरकार का जो कानून है, ये उसी के हिसाब से होता है और हमलोगों ने जो किया था, यह बिहार में अलग से कानून बनाया गया था कॉन्फिसकेट करने का, जो भ्रष्टाचारी गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं तो उसमें जो अपराध की परिभाषा दी गयी थी, वह हमलोगों ने अपने ऐक्ट में परिभाषा दी थी वह जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का जो भारत सरकार का था उसमें अपराध की परिभाषा दी हुई थी, जो 13(1)(ड.) जो उसका खंड था उसमें दिया हुआ था और हमलोगों ने भी भ्रष्टाचार को उसी रूप में परिभाषित किया था और उसके हिसाब से किया था । अभी 2018 में भारत सरकार ने उसमें संशोधन कर दिया था और वह संशोधन हो गया है लेकिन हमलोगों के ऐक्ट में पुरानी बात थी जिसके कारण डिसक्रिपेंसी हो रही थी । इस कारण जो वहां 13(1)(ड.) में भ्रष्टाचार की परिभाषा थी, वह अब 13(1)(ख) में हो गयी है । तो हमलोगों ने भी जो क्रॉसपोंडेंस उससे मिला हुआ है जो संशोधन यहां अपने ऐक्ट में था कि भ्रष्टाचार अब परिभाषित होगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के 13(1)(ख) जो 2018 में संशोधित है उस हिसाब से हमलोगों ने यहां भी उसको एडॉप्ट कर लिया है और दूसरा संशोधन जो इसमें है वह वायबलिटी है सेविंग क्लॉज कि क्योंकि इस पीरियड में भी बहुत से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है । महोदय, आप अवगत हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है तो इस बीच में भी जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है या उनकी संपत्ति

राज्यसात की गयी है विशेष न्यायालयों के माध्यम से वह भी प्रभावित नहीं हों इसलिये ये सेविंग क्लॉज दिया गया है कि पीछे भी जो काम किये गये हैं इस नियम के तहत वह सब पूर्ववत रहेंगे । ऐसा नहीं है कि नया जो परिवर्तन हुआ है उसका लाभ लेकर पीछे वाले भ्रष्टाचारी निकलने का उपाय सोचेंगे । इसलिये ये एक अलग से क्लॉज दिया गया है यही दो संशोधन इस विधेयक में शामिल है और महोदय आप समझते हैं कि ये दोनों महत्वपूर्ण हैं इस मायने में कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिये भ्रष्टाचार की परिभाषा परिवर्तित रूप में शामिल की गयी है और दूसरा उन पर जो कार्रवाई की गयी है वह भ्रष्टाचारी इसका लाभ नहीं ले उससे रोकने के लिये यह क्लॉज डाला गया है । महोदय, चूंकि यह भ्रष्टाचारियों को पकड़ने, भ्रष्ट तरीके से अर्जित संपत्ति का कॉन्फिसकेट करने का नियम है इसलिये हम सदन से अनुरोध करते हैं कि सर्वसम्मति से इस संशोधन विधेयक को स्वीकृत करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-11/राहुल/14.12.2022

बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

(व्यवधान जारी)

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

(व्यवधान जारी)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूं । खंड-2 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(संशोधन मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

महोदय, बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 की धारा-4(1) में लोकायुक्तों की नियुक्ति के संबंध में चयन समिति का प्रावधान है । उपरोक्त धारा-4(1)(घ) में एक सदस्य के रूप में आसन्न उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त का प्रावधान है ।

(व्यवधान जारी)

सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-17245/2015 में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक-05.04.2016 को पारित आदेश में यह व्यवस्था दी थी कि आसन्न उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त का तात्पर्य लोकायुक्त अधिनियम, 2011 को लागू होने के पूर्व के लोकायुक्त से है जो उस समय न्यायमूर्ति सी0एम0 प्रसाद थे । इस कारण यह बाध्यता हो गयी है कि भविष्य में किये जाने वाले सभी चयन समिति में न्यायमूर्ति सी0एम0 प्रसाद ही एक सदस्य के रूप में रहेंगे । इसमें बहुत सारी कठिनाई आती थी इसीलिए महाधिवक्ता की राय लेकर के ये निम्नलिखित संशोधन किये गये कि आसन्न उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त की जगह आसन्न पूर्ववर्त्ती उत्तरजीवी अध्यक्ष द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा । अतः मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इसे पारित करने की कृपा की जाय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य एवं कर विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।"

(व्यवधान जारी)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 इस विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 इस विधेयक के अंग बने ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-12/मुकुल/14.12.2022

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।"

महोदय, सरकार ने इस संशोधन को सदन में इसलिए प्रस्तुत किया है, क्योंकि सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 से माल और सेवा कर जो नये ढंग से सभी तरह के करों को मिलाकर राज्यों की सहमति से बनाई गई है और इसके तहत जो सी0जी0एस0टी0 है सेंट्रल गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स अधिनियम है उसके तहत भारत सरकार काम करती है । उसी के हिसाब से हमलोगों ने भी बिहार में एस0जी0एस0टी0 एक्ट बनाया है जो स्टेट लेवेल का उसी का एक तरह से यह छायाप्रति होती है । समय-समय पर जो

जी0एस0टी0 काउंसिल है जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि रहते हैं और केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं । उसमें जो प्रस्ताव आते हैं उस पर विमर्श करके सी0जी0एस0टी0 एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव दिया जाता है और उसी के तहत जो बिहार फाइनेंस एक्ट, जो फाइनेंस एक्ट भारत सरकार ने पास किया है इसी वर्ष, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब उससे मिलता-जुलता संशोधन हमलोगों को अपने भी जो राज्य माल और सेवा कर है उसमें करना आवश्यक है, तभी उसका पूरा टैक्स कैल्कुलेशन में हमलोगों को सुविधा हो पायेगी । उसी के तहत हमलोगों ने इसमें संशोधन लाया है, जिसमें मूल रूप से दो-तीन चीजें हैं...

(व्यवधान जारी)

पहला तो जो एक इनपुट क्रेडिट सिस्टम का एक्ट में प्रावधान किया गया है, कुछ व्यवसायियों द्वारा उसके तहत नाजायज फायदा उठाया जाता था तो किन लोगों को क्रेडिट दिया जायेगा या कैसे व्यवसायियों को दिया जायेगा, उसके लिए उसकी शर्तों में कुछ परिवर्तन किया गया है । उसकी शर्तों की संख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि आये दिन शिकायतें मिल रही थीं कि इसका नाजायज फायदा लोग उठाते हैं । इसलिए किस परिस्थिति में हम व्यापारियों को या करदाताओं को क्रेडिट की छूट या सुविधा उपलब्ध करायेंगे, उसकी शर्तों में हमलोगों ने विस्तार किया है, पहला तो यह है । दूसरा कैंसिलेशन से संबंधित है, जैसे किसी का जो जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन है वह किन परिस्थितियों में कैंसिल होगा यह उसमें परिवर्तन किया गया है । चूंकि, पहले सिस्टम था कि एक महीना, तीन महीना पर देना था और साल में चार बार देना पड़ता था और यह था कि कम से कम तीन बार डिफॉल्टर होने पर ही कैंसिलेशन की कार्रवाई की जायेगी । इसका मतलब यह हुआ कि अगर वे तीन साल लगातार गड़बड़ करेंगे, तब हम उन पर कार्रवाई कर पाते । महोदय, अब जो संशोधन हुआ है, उस संशोधन के हिसाब से अब उनको सालभर में जो रिटर्न देना है, रिटर्न भरकर जो टैक्स जमा करना है, अगर वह अपने नियत समय पर नहीं देते हैं तो सिर्फ 3 महीना इंतजार करके उनके रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन की कार्रवाई की जायेगी...

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये ।)

इससे करदाताओं में जो लगातार 3 साल तक करवंचना या अपवंचना करते रहते थे, इवेशन करते रहते थे उसमें कमी आयेगी । महोदय, दूसरा उनके हित में भी एक संशोधन किया गया है कि जो पहले बिक्री करते थे उसका हिसाब देते थे, फिर रिटर्न

भरते थे और उसके बाद टैक्स जमा करते थे और इसमें वे लोग जम्बलिंग बहुत कर देते थे कि न बिक्री का हिसाब दिया, न क्या खरीदा–क्या बेचा इसका हिसाब दिया और सीधे टैक्स जमा कर देते थे । अभी पिछले महीने का रिटर्न बाकी है और अगले महीने का जमा कर दिया तो इस तरीके से इसमें जो विसंगतियां आती थीं, जो डिस्क्रिपेंसिज होते थे उसके कारण विभाग को भी परेशानी होती थी और कर अपवंचना की स्थिति की संभावना ज्यादा रहती थी तो उसको रेगुलराइज करने के लिए, उसको क्रमशः और क्रमबद्ध तरीके से नियंत्रित करने के लिए यह तीसरा संशोधन है कि वे जो उनसे अपेक्षित हैं कि पहले अपनी खरीद–बिक्री का ब्यौरा दे दें, फिर अपना रिटर्न दाखिल करें तब अपना टैक्स दाखिल करें और जो पहले का बाद में दे रहे हैं और आगे का पहले दे रहे हैं तो इस तरह की जो बातें होती थीं उनको रोकने के लिए वह क्रमबद्ध ढंग से ही कर पायेंगे, इसकी व्यवस्था की गई है । महोदय, ये तीनों काफी उपयुक्त संशोधन हैं और जैसा कि हमने कहा कि सी0जी0एस0टी0 एक्ट जो भारत सरकार बनाती है और उसी के मिरर इमेज की तरह हमारा एस0जी0एस0टी0 एक्ट होता है । उसके हिसाब से ही हमलोग बनते हैं, क्योंकि कर संग्रहण का तरीका वर्ष 2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के बाद बिल्कुल बदल गया है । अगर दोनों समरूप ढंग से नहीं चलेंगे तो हर जगह असुविधा होगी । इसलिए हमलोगों ने इन तीनों जो राज्य हित में है कि इनपुट क्रेडिट सिस्टम का नाजायज फायदा जो गलत लोगों द्वारा, जो टैक्स इवैशन थे मतलब जो कर की चोरी करते थे, वह जो उसका दुरुपयोग करते थे उनको रोकने के लिए इन शर्तों को विस्तार किया गया है कि वे लोग इसका गलत उपयोग न कर सकें । दूसरा है कि उनको टैक्स जमा करने का जो तरीका था उसको सिस्टमटाइज किया गया है जिससे यह सब विधिवत ढंग से चलेंगे और सरकार को भी राजस्व संग्रहण में, कर वसूली में सुविधा होगी और जो सही व्यवसायी हैं, जो सही ढंग से काम करना चाहते हैं, सही ढंग से व्यापार भी करते हैं और सही ढंग से जो उनके द्वारा करों की देयता है वह भी करना चाहते हैं इससे उनको भी सहूलियत मिलेगी । जो अच्छे करदाता हैं, जो वाजिब करदाता हैं, जो सच्चे करदाता हैं उनको भी सहूलियत मिलेगी और सरकार को भी राजस्व संग्रहण में सुविधा मिलेगी । इसलिए हमलोगों ने यह संशोधन सदन की स्वीकृति के लिए आज यहां पेश किया है और अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करेंगे कि इसे सर्वसम्मति से स्वीकृत करने की कृपा की जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-25 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

XXX - आसन के आदेशानुसार इस अंश को विलोपित किया गया ।